



आय मृजन गतिविधि
व्यवसाय योजना
कैचुआ खाद बनाना
2025-26



स्वयं सहायता समूह का नाम	श्री बडोली माता जी स्वयं सहायता समूह
ग्रामीण वन विकास समिति का नाम	सिद्ध बाबा बालक नाथ क्यारियाँ
फील्ड टेक्निकल यूनिट का नाम	स्वारघाट
डीएमयू/वन मंडल का नाम	बिलासपुर
एफटीसीयू / सर्वेक्ष	बिलासपुर
हि प्र व पा त प्र और आ सु प जाईका के द्वारा प्रायोजित	द्वारा तैयार:- डीएमयू बिलासपुर, एफटीयू स्वारघाट और श्री बडोली माता जी स्वयं सहायता समूह

विषय सूची

विवरण	पेज
परिचय	3-4
कार्यकारी सारांश	4
स्वयं सहायता समूह का विवरण	4-7
गांव का भौगोलिक विवरण	7-8
आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	8
उत्पादन प्रक्रिया का विवरण	8-9
विपणन/बिक्री का विवरण	9-10
स्वोट अनालिसिस	10
सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	10
अर्थशास्त्र का विवरण	11-13
फंड के आवश्यकता	13
फंड के स्रोत	14-15
निगरानी	15
अनुलग्नक	16-17

परिचय

हिमाचल प्रदेश एक राजसी पौराणिक भूभाग है जो अपनी सुंदरता शांति समृद्धि संस्कृति और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में पुरातन काल से ही देवी देवताओं की अत्यधिक मान्यता श्रद्धा और उन पर अटूट विश्वास है जिसके कारण इसे देवभूमि के संबोधन से भी पुकारा जाता है। प्रदेश में विविध भौगोलिक स्थितियां हैं तथा जहां पंजाब प्रांत की सीमा से लगते उना कांगड़ा सोलन और सिरमौर जिले के कुछ मैदानी भूभाग समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं वहीं चंबा लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के हिमालयी क्षेत्र समुद्र तल से 6816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इसी कारण प्रदेश की जलवायु में भी अत्यधिक विविधता है। हिमाचल प्रदेश में जहां ऊँचे पहाड़ हैं वहीं संकरी घटियां भी हैं प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55673 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आबादी लगभग 7.5 मिलियन है। प्रदेश के हिमालयी भू भाग से कई नदियाँ निकलती हैं जो निरंतर बहती रहती हैं।

प्रदेश की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तथा अपनी आजीविका के लिए अधिकतर कृषि बागवानी पशुपालन तथा वनों से प्राप्त गैर कास्ट वन उत्पादों पर निर्भर है। प्रदेश में जल विद्युत और पर्यटन उद्योग राजकीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। प्रदेश में कई प्रसिद्ध एवं पुरातन मंदिर हैं। जहां बाहरी राज्यों के लाखों लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं तथा प्रदेश को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है। प्रदेश में कई सुंदर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जहां पर बाहरी प्रदेशों से और विदेशी यात्री सकून प्राप्ति के लिए लाखों की संख्या में आते हैं और प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में फल उत्पादन विशेष कर सेब के बगीचे भी, इसकी आर्थिकी को चार चाँद लगते हैं इस राज्य की सेब राज्य के रूप में भी विशेष पहचान है। हिमाचल प्रदेश के वन एवं परिस्थितिक तंत्र समृद्ध जैव विविधता के भंडार हैं और नाजुक ढलान वाली भूमि को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन चिरकाल से ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका के प्राथमिक स्रोत रहे हैं और ग्रामीण लोग अपनी आजीविका सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए वन संसाधनों पर निर्भर हैं। लेकिन कठोर वास्तविकता यह है कि वनों के अत्यधिक दोहन चारा, ईंधन व गैर कास्ट वन उत्पादों की अत्यधिक निकासी तथा वन अग्नि की घटनाओं आदि के कारण तथा विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण आदि से वनों का निम्नीकरण हुआ है। जिसकी भरपाई की आवश्यकता महसूस की गई है तथा इसके लिए कई वन परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनमें से हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकी प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जायका वित्त पोषित) भी एक है जिसके एक विशेष घटक आजीविका सुधार के अंतर्गत सात जिलों के कुछ चयनित क्षेत्रों में वन विकास समितियों का गठन करके उनके उनमें आजीविका सुधार हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है तथा इन समूहों, विशेषकर महिला समूहों को आजीविका से जोड़ा जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला स्वतंत्रता से पूर्व कहलूर रियासत के नाम से प्रसिद्ध एक सवायत रियासत थी जो वर्ष 1952-53 में भारतीय संघ में तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के छठे जिला के रूप में सम्मिलित हुई थी इसके अंतिम शासक राजा आनंद चंद थे बिलासपुर जिला पूरा बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत आता है। इस वन मंडल में चार वन परिक्षेत्रों, घुमारवीं, सदर, झंडूता, व स्वारघाट में 26 वन विकास समितियों का गठन किया जा चुका है और इसके अधीन 56 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं जिनको आजीविका वर्धन गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

बिलासपुर जिले का सूक्ष्म परिचय देना भी अति आवश्यक है। बिलासपुर जिले का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1167 वर्ग किलोमीटर है तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 1155 वर्ग किलोमीटर है। सतलुज नदी जिले के लगभग मध्य से गुजरती है जिस पर भाखड़ा के निर्माण के बाद कृत्रिम झील बनी है जिसे गोविन्द सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा बांध तथा इस झील के निर्माण में इस जिले की बहुत सारी उपजाऊ भूमि (लगभग 200 वर्ग-किलोमीटर) निर्माण में जल मगन हो गई है और कई गांव को उजाड़ना पड़ा था यहाँ तक कि इस पूर्व रियासत के मुख्यालय और पुरातन शहर को भी उजाड़ना पड़ा था जिसे वर्तमान जिला मुख्यालय के तौर पर नए सिरे से बसाया गया है। जिले के पंजाब की सीमा से लगते क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जबकि सोलन जिले से लगती सीमा के कुछ क्षेत्र 1900 मीटर तक की ऊंचाई पर भी स्थित हैं। जिले के घुमारवीं, जुखाला और बरठी के इलाके समतल हैं तो बाकि के इलाके मध्यम से अधिकतम ढलान वाले हैं। जिले की उत्तरी सीमा हमीरपुर जिले और मंडी जिला के साथ लगती है तथा पूर्व तथा दक्षिण में सोलन तथा पश्चिम में ऊना और पंजाब प्रांत के रूपनगर जिला की सीमाएं लगती हैं। जिले का अधिकतम भाग सतलुज नदी तथा गोविंद सागर झील का जल ग्रहण क्षेत्र है। गोविंद सागर झील में सीर, सुकर सरयाली, गम्बर, गम्ब्रोला और आली खड़े समायोजित होती हैं इस जिले में सात चिर परिचित पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें सात धारों के रूप में जाना जाता है। यह हैं, :- 1. नैना देवी धार 2. कोट धार 3. झंजिआर

धार 4. रतन पुर धार 5. तिउन धार 6. बंदला धार 7. बहादुर पुर धार। जिले में ऊँची चोटियाँ को छोड़ कर जहाँ सम शितोषण जलवायु होता है, शेष भाग में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी और कोहरा पड़ता है। जिले में औसतन 1270 मि० मी० वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और औसतन 61 दिन रिकॉर्ड की गई है जिले की अधिकतम कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है केवल कुछ स्थानों पर खड्डों और झील से पानी को पंप द्वारा उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। जिले में मक्की, गंदम, धान की फसल मुख्यता उगाई जाती है तथा कई स्थानों पर दाल, हल्दी सब्जी आदि भी उगाई जाती है। हल्दी जिले का ब्रांड प्रोडक्ट घोषित किया गया है। गोविंद सागर झील में मछली पालन पर भी कई लोगों की आजीविका निर्भर है जिले में कृषि को पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन की भी सपोर्ट है, और लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है जिले में भाखड़ा बांध, कोल डेम और अपने समय में एशिया का सबसे ऊँचा पुल कन्दोर पुल जिले के जाने-माने सिविल अभियंत्रिकी के मशहूर नमूने हैं। जिले में स्थित नैना देवी मंदिर तथा शहतलाई में बाबा बालक नाथ तपोस्थली प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है जहाँ हर वर्ष लाखों लोग दर्शनार्थ श्रद्धा से आते हैं जिले में स्थित एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाना व बागा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्रियों का भी जिले की आर्थिक प्रगति में विशेष योगदान रहा है किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग इस जिले से होकर व जिला मुख्यालय विलासपुर से होकर गुजरता है जिससे ऊपरी क्षेत्रों मनाली लाहौल स्पीति तथा लेह तक की यात्रा करने वाले लाखों की संख्या में पर्यटक आते जाते हैं। जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना से जिले की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की संभावना प्रबल हुई है। फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग किरतपुर मनाली और निर्माणाधीन रेलवे लाइन के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर जिले की स्थिति और भी सुदृढ़ होने की संभावना है।

कार्यकारी सारांश

ग्राम वन विकास समिति सिद्ध बाबा बालक नाथ क्यारियां :-

क्यारियां वार्ड, ग्राम पंचायत कुटेहला के अंतर्गत विकास खंड स्वारघाट तहसील श्री नैना देवी जिला विलासपुर में स्वारघाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो कि वन परिक्षेत्र स्वारघाट की स्वारघाट जकातखाना बीट के अंतर्गत आता है। इस वार्ड की एक वन ग्राम विकास समिति गठित की गई जिसे हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जायका वित्त पोषित) के अधीन संचालित किया जा रहा है। यह वी० एफ० डी० एस० जिला व मंडल मुख्यालय विलासपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है

ग्राम वन विकास समिति की महत्वपूर्ण विशेषताएं:-

कुल परिवारों की संख्या = 45 (सामान्य)

बी०पी०ल० परिवारों की संख्या = 5

कुल जनसंख्या = 186

ग्राम वन विकास समिति सिद्ध बाबा बालक नाथ क्यारियां के अंतर्गत आजीविका सुधार गतिविधियों के लिए श्री बडोली माता जी स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। यहां हम इस स्वयं सहायता समूह की व्यापार योजना बनाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

स्वयं सहायता समूह श्री बडोली माता जी का विवरण:-

शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह का गठन सितम्बर, 2024 ग्राम वन विकास समिति सिद्ध बाबा बालक नाथ क्यारियां के अंतर्गत कौशल और क्षमताओं को उन्नत करके आजीविका सुधार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यह समूह सीमांत किसान परिवारों की कमजोर आर्थिकी वाले परिवारों की 9 महिलाओं का बनाया गया है। यद्यपि समूह की सभी महिलाएं कृषि एवं पशुपालन के कार्य से जुड़ी हुई हैं लेकिन भूमि जोत छोटे होने के कारण व सिंचाई सुविधा ना होने के कारण उत्पादन का स्तर संतुष्टि के करीब पहुंच गया है। इसलिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। केंचुआ खाद बनाने के कार्य को व्यवसायिक रूप में करने का निर्णय लिया जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। समूह की महिलाएं ₹100 प्रतिमाह की दर से प्रति सदस्य योगदान भी कर रही हैं समूह के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:-

फोटो के साथ स्वयं सहायता समूह सदस्यों का विवरण

क्र स	नाम	पद	वर्ग	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	मोबाइल नंबर
1.	श्रीमती अंजु ठाकुर	प्रधान	सामान्य		+2.	7876325250
2.	श्रीमती देवी लाल	सचिव	- -		+2.	8091195179
3.	श्रीमती देवी लाल	कोषाध्यक्ष	- -		+2.	8219361699
4.	श्रीमती देवी लाल	सदस्य	- -		8th	8262846577
5.	श्रीमती देवी लाल	- -	- -		+2.	9317990600
6.	श्रीमती देवी लाल	- -	- -		B.A	6230980515
7.	श्रीमती देवी लाल	- -	- -		8th	9736741081
8.	श्रीमती देवी लाल	- -	- -		10th	7018040401
9.	श्रीमती देवी लाल	- -	- -		8th	7872851640
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						

फोटो के साथ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का विवरण



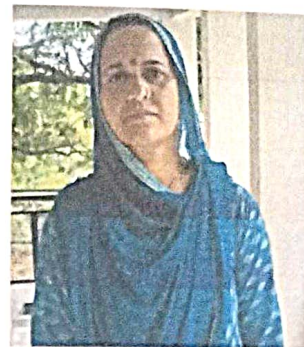
अंजू ठाकुर (प्रधान)



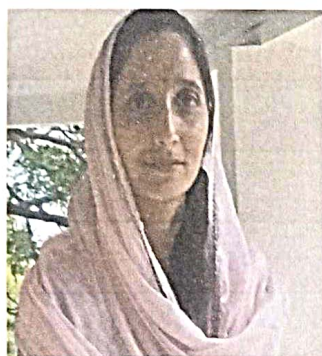
माया देवी (सचिव)



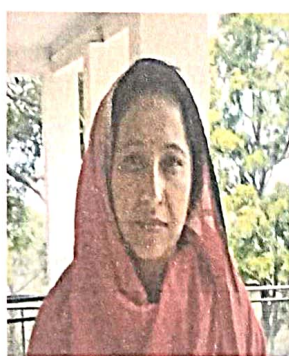
हेमावती (कोषाध्यक्ष)



ममता देवी (सदस्य)



प्रेमलता (सदस्य)



संतोष कुमारी (सदस्य)



ममता देवी(सदस्य)



निशा देवी(सदस्य)



रमीला देवी(सदस्य)

श्री बडोली माता जी स्वयं सहायता समूह क्यारियां :-

स्वयं सहायता समूह का नाम	::	श्री बडोली माता जी
स्वयं सहायता समूह का एमआई कोड संख्या	::	-
ग्रामीण वन विकास समिति का नाम	::	मिद्ध बाबा बालक नाथ
फील्ड टेक्निकल यूनिट का नाम	:	स्वारघाट
डीएमयू/ वन मंडल का नाम	::	बिलासपुर
गांव	::	क्यारियां
विकास खंड	::	स्वारघाट
ज़िला	::	बिलासपुर
स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की कुल संख्या	::	9
गठन की तिथि	::	सितम्बर, 2024
बैंक का नाम और विवरण	::	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित, स्वारघाट ।
बैंक खाता संख्या	::	11810109090
स्वयं सहायता समूह की मासिक वचत	::	रु.900/-माह
कुल वचत	::	8000/-
कुल अंतराकरण-	::	हां (5000)
नकद ऋण सीमा	::	-
चुकोती स्थिति		-

गांव का भौगोलिक विवरण:-

जिला मुख्यालय से दूरी	:	50किमी
मुख्य मार्ग से दूरी	:	स्वारघाट 6 कि०मी०
	:	
स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	:	स्वारघाट 10 कि०मी०, किरतपुर 30 कि०मी०
प्रमुख शहरों के नाम जहां	:	किरतपुर 30 कि०मी०, बिलासपुर 50कि०मी० लगभग

उत्पादों को बेचा जायेगा	:	
पिछली और अग्रिम कड़ियों की स्थिति	:	पिछली कड़ी में प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र विलासपुर स्थित बरठीं द्वारा व उद्यान विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा ।
	:	अग्रिम कड़ी में उत्पाद की विक्री हेतु विभिन्न विभागों से अनुबन्ध किया जायेगा ।

परिचय

सरल उत्पादन तकनीकों, पारिस्थितिक, आर्थिक और इससे जुड़े मानव स्वास्थ्य लाभों के कारण केंचुआ खाद बनाना देश में एक मजबूत मुकाम हासिल कर रहा है। विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन के तहत, उद्यमियों द्वारा सरकार के समर्थन के तहत, वर्मीकम्पोस्टिंग इकाइयों की एक महत्वपूर्ण संख्या स्थापित की गई है।

वर्मीकम्पोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो अपने स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मीकम्पोस्टिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

कृमि खाद

केंचुओं को पालने/उपयोग करके कम्पोस्ट का उत्पादन वर्मीकम्पोस्टिंग तकनीक कहलाता है। इस तकनीक के तहत, केंचुए बायो मास खाते हैं और इसे पचे हुए रूप में उत्सर्जित करते हैं जिसे वर्मीकम्पोस्टिंग या वर्मीकम्पोस्ट के रूप में जाना जाता है। यह छोटे और बड़े पैमाने के किसानों दोनों के लिए खाद के उत्पादन के लिए सबसे सरल और लागत प्रभावी तरीकों में से एक है। वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि में स्थापित की जा सकती है जो किसी भी आर्थिक उपयोग के अधीन नहीं है बल्कि छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त है। स्थान भी जल संसाधन के निकट होना चाहिए

वर्मीकम्पोस्टिंग, जिसे सही मायने में "कचरा रूपी सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करता है, मिट्टी की उत्पादकता खेती की लागत को कम करती है। पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मीकम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

उत्पाद का नाम	::	केंचुआ खाद
उत्पाद पहचान की विधि	::	यह गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है और समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय किया गया है
एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हाँ

उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

चरण		विवरण
चरण-1	::	प्रसंस्करण जिसमें घास फूस का 1 संग्रह, और जैविक कचरे का भंडारण शामिल है।
चरण-2	::	जैविक कचरे का बीस दिनों के लिए पशुओं के गोबर के घोल के साथ सामग्री को ढेर करके पूर्व पाचना। यह प्रक्रिया आंशिक रूप से सामग्री को पचाती है और केंचुआ खपत के लिए उपयुक्त है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस के घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का उपयोग वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन के लिए नहीं करना चाहिए।
चरण-3	::	केंचुआ क्यारी तैयार करना। वर्मीकम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी कीड़े को मिट्टी में जाने देगी और पानी देते समय, सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाते हैं।
चरण-4	::	वर्मी-कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह। पूरी तरह से कम्पोस्ट की गई सामग्री को अलग करने के लिए कम्पोस्ट की गई सामग्री को छान लें। आंशिक रूप से कम्पोस्ट की गई सामग्री को फिर से वर्मीकम्पोस्ट बेड में डाल दिया जाएगा।
चरण-5	::	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ने देने के लिए वर्मी-कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करना।
चरण-6		10X4X2 fit का ईंटों का पका गड्ढा बनाया जाएगा और उसे पानी से बचाने के लिए छप्पर का प्रावधान होगा

उत्पादन योजना का विवरण

उत्पादन चक्र) दिनों में(	::	90दिन) वर्ष में तीन चक्र(
प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति) सं।(	::	1
कच्चे माल का स्रोत	::	घर और अपने खेतों से
अन्य संसाधनों का स्रोत	::	मुक्त बाज़ार
कच्चा माल - आवश्यक मात्रा प्रति चक्र) किलो (प्रति सदस्य	::	1800किलो प्रति चक्र
प्रति सदस्य प्रति चक्र) किलो (अपेक्षित उत्पादन	::	900किलोग्राम प्रति चक्र

विपणन/बिक्री का विवरण

संभावित बाजार स्थान	::	हिमाचल प्रदेश वन विभाग स्थानिय बाज़ार
इकाई से दूरी	::	अपने खेत पर प्रयोग करने के लिए
बाजार में उत्पाद की मांग / एस	::	HOFF (वन विभाग) उनकी नर्सरी के लिए प्रचुर मात्र में वर्मी- कम्पोस्ट खरीद रहा है

बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	पीएमयू हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वर्मी-कम्पोस्ट की खरीद की सुविधा प्रदान करेगा।
उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति		एसएचजी सदस्य भविष्य में बेहतर विक्री मूल्य के लिए अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्प तलाशेंगे।
उत्पाद ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस IGA को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
उत्पाद "नारा"		"प्रकृति के अनुकूल"

स्वोट अनालिसिस

- ❖ ताकत
 - ⊕ गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है
 - ⊕ एसएचजी के प्रत्येक सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 तक के मवेशी हैं
 - ⊕ एसएचजी सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य वाली फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं जो पूरे वर्ष कच्चे माल यानी कृषि जैविक कचरे की पर्याप्त उपलब्धता प्रदान करते हैं।
 - ⊕ उनके खेतों में आसानी से उपलब्ध कच्चा माल
 - ⊕ निर्माण प्रक्रिया सरल है
 - ⊕ उचित पैकिंग और परिवहन में आसान
 - ⊕ परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
 - ⊕ उत्पाद आत्म-जीवन लंबा है
- ❖ कमज़ोरी
 - ⊕ विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
 - ⊕ तकनीकी जानकारी का अभाव
- ❖ अवसर
 - ⊕ जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता के कारण वर्मीकम्पोस्ट की बढ़ती मांग
 - ⊕ वर्मी-कम्पोस्ट का अपने खेत में प्रयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार और वृद्धि तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद का उत्पादन होगा जो बेहतर मूल्य प्रदान करेगा।
 - ⊕ रसोई घर से बाहर रह गए घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग
 - ⊕ एच पी फॉरेस्ट के साथ मार्केटिंग गठजोड़ की संभावना
- ❖ धमकी/जोखिम
 - ⊕ अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना
 - ⊕ प्रतिस्पर्धी बाजार
 - ⊕ प्रशिक्षण/क्षमतानिर्माण और कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों के बीच प्रतिबद्धता का स्तर
- ❖ सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण
 - ⊕ उत्पादन - कच्चे माल की खरीद सहित व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा
 - ⊕ गुणवत्ता आश्वासन - सामूहिक रूप से
 - ⊕ सफाई और पैकेजिंग - सामूहिक रूप से
 - ⊕ मार्केटिंग - सामूहिक रूप से
 - ⊕ इकाई की निगरानी - सामूहिक रूप से

क्र.सं.	विवरण	इकाइयों	मात्रा/संख्या	लागत (रु.)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
एका.	पूंजी लागत								
ए.1	पिट एवं शेड का निर्माण								
1	गड्डे निर्माण के साथ-साथ श्रम लागत (आंतरिक गड्डे का आकार 10ftX4ftX2ft होगा)	प्रति सदस्य	9	6000	54000	0	0	0	0
2	क्वर शेड का निर्माण	प्रति सदस्य	9	4000	36000				
	उप-योग (ए.1)				90000	0	0	0	0
.2	यंत्रावली और उपकरण								
3	औजार, उपकरण, तराजू आदि।	प्रति सदस्य	9	2000	18000	0	0	0	0
	उप-योग (ए.2)				18000	0	0	0	0
	कुल पूंजीगत लागत (ए.1+ए.2)				108000	0	0	0	0
बी	आवर्ती लागत								
4	बीज केंचुआ	प्रति किग्रा	9	500	4500	0	0	0	0
5	घोल/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत	टन	44	900	39600	41580	43659	45842	48134
6	श्रम लागत	प्रति टन	22	700	15400	16170	16979	17827	18719
7	बैंकिंग सामग्री	नहीं।	3600	2	7200	7560	7938	8335	8752
8	अन्य हैंडलिंग शुल्क	प्रति टन	44	150	6600	6930	7277	7640	8022

आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

- प्रत्येक सदस्य के लिए गड्डे का आकार 10X4X2 फीट की योजना बनाई गई है।
- वर्मी कम्पोस्ट की उत्पादन लागत रु. 3.2 प्रति किग्रा
- वर्मी -कम्पोस्ट (रूढ़िवादी पक्ष) की बिक्री रु. 6 प्रति किलो
- रुपये का शुद्ध लाभ होगा। 2.7 प्रति किग्रा
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 2.7 टन वर्मी -कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा जिसके परिणामस्वरूप 24.3 टन का उत्पादन होगा एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 9 सदस्यों द्वारा वर्मी -कम्पोस्ट।
- केंचुआ की कीमत रुपये रखी गई है। 500.00 प्रति किग्रा
- दूसरे दूसरे वर्षों के दौरान , बिक्री के लिए अतिरिक्त मिट्टी का काम होगा (क्योंकि यह वर्मी -कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कई गुना बढ़ जाएगा)
- वर्मी - खाद बनाना एक लाभदायक IGA है और इसे SHG सदस्यों द्वारा लिया जा सकता है।

फंड की आवश्यकता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना का समर्थन	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	108000	81000	27000
2	कुल आवर्ती लागत	73300	0	73300
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	0	0	0
	कुल =	188200	81000	107200

टिप्पणी-

- पूंजीगत लागत - पूंजीगत लागत का 75% परियोजना के तहत कवर किया जाएगा
- आवर्ती लागत - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाना।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

फंड के स्रोत:

परियोजना का समर्थन;	• पूंजीगत लागत का 75% पिट और शेड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 10ftX4ftX2ft होगा)	खरीद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा सभी औपचारिक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद की जाएगी।
---------------------	--	---

	• SHG बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक जमा किए जाएंगे। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत। • डीएमयू द्वारा 5% व्याज दर की सव्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। एसएचजी को मूल राशि की किश्तों का भुगतान नियमित आधार पर करना होता है।	
एसएचजी योगदान	• पूंजीगत लागत का 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। • एसएचजी द्वारा वहन की जाने वाली आवर्ती लागत	

बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक वचत और चुकौती रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के वकाया मूलधन का बैंकों को साल में एक बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। व्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, चुकौती बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए।
- परियोजना सहायता - डीएमयू द्वारा 5% व्याज दर की सव्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। SHG/CIG को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- ➡ परियोजना अभिविन्यास समूह का गठन/पुनर्गठन
- ➡ समूह अवधारणा और प्रबंधन

- आईजीए (सामान्य) का परिचय
- विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- बैंक क्रेडिट लिंकेज और उद्यम विकास
- एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा - राज्य के भीतर और राज्य के बाहर

निगरानी तंत्र

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

टिप्पणियाः

अनुलग्नक

हम सब समूह सदस्य ने आईजीए गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सहमति दी है एचपी पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार और वीएफडीएस के साथ समन्वय के लिए जेआईसीए परियोजना के दिशानिर्देश के अनुसार समूह (कैचुमा खाद मिमी) द्वारा चुना गया। सदस्यों का विवरण इस प्रकार है

क्र स	नाम	पद	वर्ग	उम्र	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती अंजु ठाकुर	प्रधान	सामान्य		Anju Thakur
2.	श्रीमती अंजु ठाकुर	सचिव	—		Maya Devi
3.	श्रीमती अंजु ठाकुर	कोषाध्यक्ष	—		Himavati
4.	श्रीमती अंजु ठाकुर	सदस्य	—		ममता देवी
5.	श्रीमती अंजु ठाकुर	—	—		Premlata
6.	श्रीमती अंजु ठाकुर	—	—		Sandhya Devi
7.	श्रीमती अंजु ठाकुर	—	—		ममता देवी
8.	श्रीमती अंजु ठाकुर	—	—		निशा देवी
9.	श्रीमती अंजु ठाकुर	—	—		रमीला देवी
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Maya Devi

Anil Thakur

प्रधान

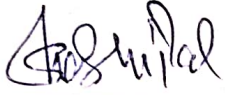
सचिव

प्रधान

सेचिव

हस्ताक्षर
श्री बडौली माता जी स्वयं सहायता समूह
गाव क्यारियाँ ग्राम पंचायत कुटुम्बला तह
श्री नैनादेवी जी जिला विलासपुर (हि.प्र.)

हस्ताक्षर
श्री बडौली माता जी स्वयं सहायता समूह
गाव क्यारियाँ ग्राम पंचायत कुटुम्बला तह
श्री नैनादेवी जी जिला विलासपुर (हि.प्र.)



हस्ताक्षर

सचिव, वन ग्रामीण विकास
समिति

हस्ताक्षर

प्रधान, वन ग्रामीण विकास
समिति प्रधान
सचिव विकास समिति सिद्ध बाबा बालक
गाव क्यारियाँ ग्राम पंचायत कुटुम्बला
जिला विलासपुर (हि.प्र.)

हस्ताक्षर

वन रक्षक

हस्ताक्षर

वन खण्ड अधिकारी कोषाध्यक्ष
ग्राम वन विकास समिति सिद्ध बाबा बालक
गाव क्यारियाँ ग्राम पंचायत कुटुम्बला
जिला विलासपुर (हि.प्र.)

Range Forest Officer
Swarghat Forest Range
Jalgaon Forest Division
वन परिक्षेत्र अधिकारी

Management Unit
JICA Forestry Project,
Dist. Bilaspur (H.P.)
डा. एम. यू. द्वारा स्वीकृत